

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ 962/2021, लखनऊ:दिनांक: 31मई,2021

--: आदेश :-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-02 इलाहाबाद के पत्रांक-125/2021 दिनांक 19.05.2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके कार्यालय में लम्बित निम्नलिखित दूषित अपीलों को कार्यालय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-01 इलाहाबाद को उनके मूल अधिकार क्षेत्र में नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है ।

1	दूषितअपीलसं0 41/2021	स0ब0कृष्ण कुमार जायसवाल,3रामबाग प्रयागराज	2008-09 धारा-28(2)
2	दूषितअपीलसं0 42/2021	स0ब0कृष्ण कुमार जायसवाल,3रामबाग प्रयागराज	2008-09 धारा-9(4)

ह0/31.05.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2021, दिनांक उक्त ।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-02 इलाहाबाद ।
- 2 प्र0सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-01 इलाहाबाद ।
- 3 असि0 कमि0/रा0 प्रति0 01/02 इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4 वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय ।
- 5 आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु ।
- 6-वेवअधिकारी मुख्यालय

आज्ञा से,  


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।